न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 43 /2026 (Bank Case)

GCMS NO. – 2026/81

पंजाब नेशनल बैंक शाखाः मिड कॉर्पोरेट सेंटर, कोटा जर्ये प्राधिकृत अधिकारी अच्युत बनर्जी। – प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स प्राइम एग्रीवर्क्स प्रोपराईटर श्री राजेश कुमार गुप्ता –(ऋणी / बंधककर्ता)
   अन्य पता– 121, न्यू ग्रेन मण्डी, कोटा (राज.) 324007
2. श्रीमती कुसुमलता गुप्ता पत्नी श्री कन्हैया लाल गुप्ता
   पता– 121, न्यू ग्रेन मण्डी, कोटा (राज.) 324007
3. मैसर्स प्लीन्थ स्टोन प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 निदेशक श्रीमती कृष्णा गुप्ता
   पता– 121, न्यू ग्रेन मण्डी, कोटा (राज.) 324007
4. मैसर्स प्लीन्थ स्टोन प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 निदेशक श्री राजेश कुमार गुप्ता
   पता– 121, न्यू ग्रेन मण्डी, कोटा (राज.) 324007

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 20.05.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखाः मिड कॉर्पोरेट सेंटर, कोटा है, से अप्रार्थी ने दिनांक 15.04.2024 को ऋण रूपये 4,90,000,00 / – (अक्षरेः रूपये चार करोड नब्बे लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे बंधक अचल सम्पत्ति पी–04, पेन्ट हाउस,(वन्डर व्यू), प्लॉट नं0 01, हाडी रानी मार्केट, कोटा (राज.) 324007 में स्थित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 7606.04 वर्ग फीट है। जोकि श्रीमती कुसुमलता गुप्ता पत्नी श्री कन्हैयालाल गुप्ता के नाम से है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में: खुला, पश्चिम में:– पेन्ट हाउस नं0 पी–3, उत्तर में:– खुला, दक्षिण में:– लॉबी का प्रवेश द्वार/पेन्ट हाउस नं0 पी–01, है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 04.12.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के ऋण खाते मे रूपये 5,06,86,094 / – (अक्षरे पाच करोड, छ लाख छियासी हजार चौरानवें रूपये मात्र) दिनांक 05.12.2025 तक (सम्मिलित ब्याज 30.11.2025) व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 05.12.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी

दिनांक 05.12.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 05.12.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधक अचल सम्पत्ति पी–04, पेन्ट हाउस,(वन्डर व्यू), प्लॉट नं0 01, हाडी रानी मार्केट, कोटा (राज.) 324007 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 7606.04 वर्ग फीट है। जोकि श्रीमती कुसुमलता गुप्ता पत्नी श्री कन्हैयालाल गुप्ता के नाम से है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में: खुला, पश्चिम में:– पेन्ट हाउस नं0 पी–3, उत्तर में:– खुला, दक्षिण में:– लॉबी का प्रवेश द्वार/पेन्ट हाउस नं0 पी–01, है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)